

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2644 / 2011 / हनुमानगढ

मैसर्स नरेन्द्रा मोटर्स

हनुमानगढ

..अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगागनगर

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या-518 / 2012 / हनुमानगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगागनगर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नरेन्द्रा मोटर्स

हनुमानगढ

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.बी.अग्रवाल

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.03.2017

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 217/आरएसटी/हनुमानगढ/2010-11 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपटित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 पारित निर्णय 29.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगागनगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 30, 65 व 58 के कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए पारित आदेश दिनांक 16.01.2009 के द्वारा कर रू. 17,01,777/-, धारा 65 के अन्तर्गत रू. 34,03,554/- एवं धारा 58 के अन्तर्गत रू. 6,65,232/- की शास्तियों आरोपित की हैं, में से अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए शेष कर एवं धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे गये कर रू. 17,01,777/- धारा 58 के अन्तर्गत रू. 6,65,232/- की शास्ति के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 2644/2011 एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत अपास्त की गई शास्ति के विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील संख्या 518/2012 प्रस्तुत की गई है।

चूँकि दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित हैं तथा निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की दिनांक 07.11.2008 को जांच करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय की जा रही वस्तु एंटीना सिस्टम एवं एसेसरीज पर निर्धारित कर से कम दर पर कर चुकाया जाकर करापवचन किया जा रहा है। व्यवहारी मैसर्स एस्सल एग्रो प्रा० लिमिटेड एवं मैसर्स ए.एस.सी. एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, नोएडा नई दिल्ली का एजेंट है तथा उसके द्वारा डिस एंटीना मय एसेसरीज विक्रय प्राप्त किये गये एवं इस पर रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपोजिट के तहत वी सी कार्ड्स सप्लाइ किये गये हैं तथा उसके द्वारा इस हेतु ग्राहकों के भवनों पर डिस एंटीना मय एसेसरीज स्थापित किया जाकर इसका किराया प्राप्त किया जा रहा है। वक्त जांच वर्ष 2005-06 की लेखा-पुस्तकों की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के बाहर से मैसर्स एस्सल एग्रो प्रा० लिमिटेड एवं मैसर्स ए.एस.सी. एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, नोएडा नई दिल्ली में डिजिटल डिकोडर घोषणा प्रपत्र फॉर्म 'एफ' व एस.टी.18ए के समर्थन से रु. 1,22,97,925/- विक्रयार्थ राज्य के बाहर से मंगवाये गये हैं। विक्रेता कम्पनियों ने भी अपने चालान/इन्वॉयस में माल की दर व कीमत दर्शाते हुए 'एफ' फॉर्म के समर्थन पर विक्रयार्थ प्रेषित किया, जिसे व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों में जमा खर्च कर इस राशि को अघोषित विक्रय राशि को वी.सी.सिक्यूरिटी, हैण्डलिंग चार्ज, इन्सटालेशन चार्ज एवं एक्टीवेशन चार्ज आदि विभिन्न उप शीर्षकों में विभक्त कर जमा खर्च किया है, इस प्रकार ग्राहकों रु. 1,49,81,860/- की राशि ग्राहकों से वसूल कर अपने प्रिंसिपल डीलर को इसका भुगतान किया गया है जबकि व्यवहारी द्वारा केवल रु. 22,04,460/- की राशि को Right to use के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से बिक्री दर्शाकर इस पर कर रु. 88,178/- राजकोष में जमा करवाये हैं। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये डिस्पेच एडवाइज मीमो में अंकित शर्तों के अनुसार माल की डिलीवरी का पूर्ण स्वामित्व अन्तरण होना माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा Right to use की आड में सुनियोजित तरीके से बिक्री को करापवचन करना माना तथा तदनुसार इसका लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित डिस एंटीना मय एसेसरीज का ग्राहकों को भौतिक रूप से माल का स्थानान्तरण करने के कारण प्राप्त प्रतिफल को विक्रय राशि मानते हुए इस प्रकरण में अपना क्षेत्राधिकार मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 30, 65 एवं 58 के अन्तर्गत आदेश


दिनांक 16.01.2009 पारित करते हुए कर रू. 17,01,777/-, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 34,03,554/- एवं धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 6,65,232/- आरोपित करते हुए कुल रू. 57,70,563./- सृजित की। उक्त सृजित मांग राशि के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने घोषणा पत्र एस टी 18ए एवं फार्म एफ के द्वारा राज्य के बाहर से आयातित समस्त माल को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों जमा खर्च किया गया है इसलिए उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा पारित निर्णयों को प्रोद्धरित किया है, जिनमें प्रतिपादित मत के अनुसरण में अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 34,03,554/- को अपास्त करते हुए शेष मांग राशि को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी मैसर्स एस्सल एग्री प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली तथ्सस मैसर्स ए.एस.सी.एण्टर प्राइजेज, नई दिल्ली का डिस एन्टीना मय एसेसरीज का एजेन्ट है और उसने इसके अन्तर्गत लौटाने योग्य जमा राशि (Security) के विरुद्ध वी.सी.कार्ड्स ग्राहकों को सप्लाई करने का भी एजेन्ट है। उनका कथन है कि एजेन्ट द्वारा ग्राहकों के भवनों पर लीज बेसिस पर डिस-एन्टीना मय एसेसरीज को स्थापित किया जाता है तथा इस पर उसने उक्त सेवा के रूप में किराया ग्राहकों वसूल किया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस हेतु अपने ग्राहकों को वी.सी.कार्ड चीप सप्लाई की गई है तथा इस पर वसूल किये गये चार्ज रिफण्डेबल सिक्यूरिटी है तथा वह इसकी बिक्री नहीं करता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त डिस एन्टीना मय एसेसरीज को घोषणा पत्र एस.टी. 18 एवं एफ फार्म के द्वारा कन्साईनमेन्ट बेसिस पर राज्य के बाहर से आयात किये जाकर बिना कोई उक्त माल का मूल्य वसूल किए तथा बिना किसी प्रतिफल के ग्राहकों को सप्लाई किये जाते हैं इसलिए उक्त संव्यवहार बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने अपने के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल (वैट)रिवीजन पिटीशन नम्बर 179/14 प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में माल के विक्रेता एवं उद्धरित निर्णय में माल के विक्रेता एक ही है और माननीय उच्च न्यायालय ने समान बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय के प्रकाश में निर्णय करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से कर योग्य माल घोषणा-पत्र एस.टी.18ए व 'एफ' फॉर्म के समर्थन से विक्रय हेतु आयात कर स्थानीय व्यवहारियों को विक्रय किया है, जिन्होंने कर चुकी खरीद दर्शाते हुए माल का जमाखर्च अपने लेखा-पुस्तकों में किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अविधिक रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के शास्ति के बिन्दु पर अपास्त करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया। उद्धरित निर्णय के तथ्यों के अनुसार माल के विक्रेता एवं हस्तगत प्रकरण में माल के विक्रेता एक समान है और समान तथ्यों होने के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल (वैट)रिवीजन पिटीशन नम्बर 179/14 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को पारित निर्णय के प्रकाश में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष